न्यायालय–सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंता, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी	:	सिद्धान्त शर्मा, आर.जे.एस.
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	:	426/2023
सी.आई.एस. नंबर	:	426/2023
सी.एन.आर. नंबर	:	RJBR110010262023
निर्णय दिनांक	:	24.03.2026

अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

PART-I (A)

परिवादी	राजस्थान राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित।
अभियुक्तगण	1. चेतराम पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप, आयु 66 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0 2. राकेश कुमार पुत्र चेतराम, आयु 35 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0 3. निर्मल उर्फ नीरू पुत्र चेतराम, आयु 29 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0 ..... अभियुक्तगण
प्रतिनिधित्व द्वारा	1. विद्वान अधिवक्ता श्री जाकिर हुसैन अंसारी, अभियुक्त क्रम 1. लगायत 3. की ओर से उपस्थित।

(B)

अपराध की दिनांक	17.08.2023
एफ.आई.आर. की दिनांक	23.08.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	26.10.2023
आरोप पृथक् से विरचित किये जाने की दिनांक	अभियुक्तगण 1. चेतराम, 2. राकेश कुमार एवं 3. निर्मल उर्फ नीरू दिनांक 26.10.2023

सुनवायी की दिनांक	26.02.2024
निर्णय के लिये निर्धारित दिनांक	24.03.2026
निर्णय सुनाये जाने की दिनांक	24.03.2026
दंडादेश, यदि हो तो –	–

(C)
अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दंडादेश या परिवीक्षा अधिनियम के संबंध में पारित आदेश का विवरण	अभिरक्षा में बितायी अवधि
1.	चेतराम	–	–	अपराध अर्न्तगत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	दोषसिद्ध	निर्णय की मद संख्या 28. एवं 29. में वर्णित	–
2.	राकेश कुमार	–	–				–
3.	निर्मल उर्फ नीरू	–	–				–

PART-II
साक्षियों की सूची :– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी –

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	बतूल बाई	परिवाद पेश करने का, स्वयं के साथ घटना घटित होने का, घटनास्थल का नक्शा मौका का एवं बयान धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
2.	महावीर	बयान धारा 161 सीआर.पी.सी. का गवाह
3.	सरस्वती बाई	बयान धारा 161 सीआर.पी.सी. का एवं घटनास्थल का नक्शा मौका का गवाह
4.	सुरजीत पंवार	घटनास्थल का नक्शा मौका का गवाह
5.	रोहित नागर	आहत की एक्स रे रिपोर्ट का गवाह

6.	डॉ. शाकिर हुसैन अंसारी	आहत की एम.एल.सी. मेडीकल मुआयना का एवं एक्स रे रिपोर्ट का गवाह
7.	राजेश सिंह	हालात तफ्तीश एवं अनुसंधान का गवाह
8.	राधेश्याम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का गवाह

(B) बचाव साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति **(EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)**
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी –

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति **(EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)**
-	-	-

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	प्रदर्श पी. 1	परिवादिया द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित परिवाद/तहरीरी रिपोर्ट/प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी. 1
02.	प्रदर्श पी. 2	फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 2
03.	प्रदर्श पी. 3	आहता बतूल बाई का एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 3 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 4
04.	प्रदर्श पी. 4 एवं प्रदर्श पी. 5	आहता बतूल बाई का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5
05.	प्रदर्श पी. 6	चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 6

(B) बचाव प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
01.	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श –

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
– निल –		

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना –

क्रम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर क्रमांक एवं वर्णन
– निल –			

:: निर्णय ::

दिनांकः–24.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि 'परिवादिया बतूल बाई बेवा स्वर्गीय मोहनलाल, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता ने कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, बारां में पेश किया हुआ परिवाद धारा 154(3) सीआर.पी.सी. के तहत थाना हाजा पर जर्ये डाक इस आशय का प्राप्त हुआ कि प्रार्थीया नयापुरा, पुलिस थाना अंता की रहने वाली है। घटना दिनांक 17.08.2023 को सुबह सात बजे की है। प्रार्थीया अपने घर के बाहर की नाली की सफाई कर रही थी तो अभियुक्तगण चेतराम, राकेश एवं नीरू ने सफाई करने से मना किया। प्रार्थीया अपने मकान के सामने सफाई करने लगी तो अभियुक्तगण ने एकराय होकर, प्रार्थीया के साथ लकड़ी से मारपीट कर गाली गलौच की। अभियुक्तगण चेतराम एवं नीरू के हाथ में लकड़ी थी एवं अभियुक्त राकेश के हाथ में गंडासी थी, जिससे परिवादिया के सिर में एवं हाथ एवं पैर में गंभीर चोटें आयी है। परिवादिया के चिल्लाने पर, उसकी पुत्रियां सरस्वती एवं मंजू बाई बचाने आयी तो उनके साथ भी, अभियुक्तगण, गाली गलौच एवं मारपीट पर आमादा हो गये। गंभीर मारपीट करने पर, परिवादिया बेहोश हो गयी। पड़ोस के लोगों ने जो वहॉ पर मौजूद थे, उन्होनें परिवादिया का ईलाज अंता चिकित्सालय में करवाया। परिवादिया विधवा है, अभियुक्तगण एवं परिवादिया के मकान पास पास है। उक्त घटना की रिपोर्ट अंता थाने में दर्ज करवायी गयी तो अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और ना ही परिवादिया के थाने में बयान लिये गये, उल्टा परिवादिया एवं उसकी पुत्रियों को डांटा फटकारा गया परंतु अभी पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने से, उनके हौसलें बुलंद हो रहे है। अभियुक्तगण, परिवादिया एवं उसकी पुत्रियों को जान से मारने की धमकियां दे रहे है कि अभी तक तो कोई गंभीर वारदात नहीं की है, तलवार से काटकर मारेंगे, जान से खत्म कर देंगे। अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा धारा 3 के मुकदमें में फॅसाने की धमकियॉ दे रहे है। कार्यवाही की जावें।' इत्यादि

2. उक्त परिवाद के आधार पर, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. द्वारा मुकदमा नंबर 314/2023, अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना अंता द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, न्यायालय में आरोप

पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. तत्पश्चात् बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर, सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन समझकर, आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में, गवाहान पीडब्ल्यू–1 बतूल बाई, पीडब्ल्यू–2 महावीर, पीडब्ल्यू–3 सरस्वती बाई, पीडब्ल्यू–4 सुरजीत पंवार, पीडब्ल्यू–5 रोहित नागर, पीडब्ल्यू–6 डॉ. शाकिर हुसैन अंसारी, पीडब्ल्यू–7 राजेश सिंह, पीडब्ल्यू–8 राधेश्याम को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, परिवादिया द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित परिवाद प्रदर्श पी. 1, फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटनास्थल प्रदर्श पी. 2, आहता बतूल बाई का एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी. 3 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी. 4, आहता बतूल बाई का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5, चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी. 6 को प्रदर्शित कराया गया।

5. अभियुक्तगण के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन के गवाहान के बयानों को गलत होना एवं झूठा फॅसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर नहीं किया, तत्पश्चात् साक्ष्य सफाई समाप्त की गयी।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. क्या अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू द्वारा दिनांक 17.08.2023 को समय सुबह के सात बजे या उसके लगभग स्थान मौजा बमोरी, अंता में परिवादिया बतूल बाई, परिवार के साथ घर के बाहर नाली साफ कर रही थी, तब उसकी इच्छा के विरूद्ध उसको आड़े फिरकर, उसका रास्ता रोककर, सदोष अवरोध कारित कर, उसे उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया गया, जिस दिशा में जाने की वह अधिकारी थी ? साथ ही क्या उक्त अभियुक्तगण द्वारा, परिवादिया के साथ स्वेच्छयापूर्वक कुंदालय से मारपीट कर, उसके सिर एवं हाथ पर प्रहार कर, स्वेच्छया साधारण एवं गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी तथा उक्त अभियुक्तगण द्वारा, परिवादिया/आहता के साथ गाली गलौच कर, उसको इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें ? इस प्रकार अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू द्वारा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित दण्ड क्या होगा ?

8. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का यह कथन रहा है कि अभियोजन कहानी से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतया साबित है। गवाहान के कथनों में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। सभी गवाहान ने अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित धारा में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खंडन करते हुये, इसके विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का मुख्यतः यह कथन रहा है कि प्रकरण वर्ष 2023 से लंबित है। अभियुक्तगण पिछले तीन वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। परिवादी तथा परीक्षित अन्य गवाहान के द्वारा भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र ताईद नहीं की गई है। परिवादी पक्ष द्वारा द्वेष में आकर उक्त प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है। गवाहान के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। किसी भी गवाह के बयान से अपराध प्रमाणित नहीं है। प्रकरण में अभियोजन अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावें।

10. बहस अन्तिम सुनी गई। निर्णयार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः—

11. संपूर्ण अभियोजन वृतांत के अनुसार, अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू द्वारा, दिनांक 17.08.2023 को समय सुबह के सात बजे या उसके लगभग स्थान मौजा बमोरी, अंता में परिवादिया बतूल बाई, परिवार के साथ घर के बाहर नाली साफ कर रही थी, तब उसकी इच्छा के विरूद्ध उसको आड़े फिरकर, उसका रास्ता रोककर, सदोष अवरोध कारित कर, उसे उस दिशा में जाने से निरूद्ध किया गया गया, जिस दिशा में जाने की वह अधिकारी थी। साथ ही उक्त अभियुक्तगण द्वारा, परिवादिया के साथ स्वेच्छयापूर्वक कुंदालय से मारपीट कर, उसके सिर एवं हाथ पर प्रहार कर, स्वेच्छया साधारण एवं गंभीर प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी तथा उक्त अभियुक्तगण द्वारा, परिवादिया/ आहता के साथ गाली गलौच कर, उसको इस आशय से अपमानित किया गया, जिससे कि वह प्रकोपित होकर लोक शांति भंग करें। इस प्रकार अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया गया।

12. उक्त अभियोजन वृतांत को साबित करने का पूर्ण भार अभियोजन पक्ष पर है। इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 08 गवाहान को न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है। हस्तगत प्रकरण में, जहॉ तक प्रश्न, अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना एवं घटनास्थल का है, इस संबंध में, अभियोजन द्वारा, प्रकरण में परिवादिया/आहता बतूल बाई को गवाह पी0ड0 1 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह नयापुरा अंता की रहने वाली है। यह साल भर पहले की घटना है। सुबह सात बजे की बात है। वह घर के बाहर नाली साफ कर रही थी। चेतराम का घर, उसके घर के पास है, वो भी अपनी नाली की सफाई कर रहा था। उसने, चेतराम से कहा

कि प्लास्टिक की पन्निया नाली में से निकाल दें, उसकी तरफ मत कर। इसी बात पर चेतराम ने उसके सिर में लाठी की मार दी। **राकेश, लाठी लेकर आया और उसने, उसके हाथ में लाठी की मार दी, फिर नीरू गंडासी लेकर आया, उसके पिछले भाग पर गंडासी से मार दी। उसके हाथ में फ्रैक्चर आया था, उसके पिछले हिस्से पर गंभीर चोट आयी थी। सभी ने उसे लट्ठों से बहुत मारा था। उसका बीच–बचाव कराने सरस्वती और महावीर आये थे।** उसका प्रारम्भिक ईलाज अंता अस्पताल में कराया। इसके बाद उसका ईलाज कोटा में चला। वह थाना अंता में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इसके बाद उसने जिला पुलिस अधीक्षक, बारां में परिवाद पेश किया था। पुलिस ने उसके घर के बाहर मौका मुआयना किया था। गवाह द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को पेश परिवाद प्रदर्श पी. 1 एवं प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 2 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसे गिरने से नहीं लगी थी, मारपीट से चोट आयी थी। सरस्वती और महावीर, लड़ाई होने के बाद वहॉ पर आ गये थे। मारपीट होने के पश्चात्, वह पूर्णतया बेहोश नहीं हुयी थी। निर्मल ने उसके पीछे से गंडासी दी थी।

13. इसी क्रम में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा घटना का चक्षुदर्शी गवाह महावीर, जो कि परिवादिया का पुत्र है, को पी0ड0 2 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह अंता का रहने वाला है। यह बात पिछले साल की है। यह बात सुबह सात बजे की थी। उसकी मम्मी बतूल बाई, उस समय घर के बाहर नाली साफ कर रही थी। तभी चेतराम एवं राकेश, निर्मल ने उसकी मम्मी बतूल बाई के साथ मारपीट करी थी। वह, उस समय चाय बना रहा था। **चिल्लाचोट की आवाज सुनकर, वह बाहर आया और उसने देखा कि यह चेतराम, राकेश एवं निर्मल, उसकी मम्मी बतूल बाई के साथ मारपीट कर रहे थे। चेतराम उसकी नाली की तरफ कचरा फेंक रहा था, उसकी मम्मी बतूल बाई ने मना करा तो इसी बात पर चेतराम एवं राकेश, निर्मल ने उसकी मम्मी को मारा था। इससे, उसके मम्मी के सिर पर चोट आयी थी।** फिर वह, उसकी मम्मी को अस्पताल में लेकर गया था।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि तीनों अभियुक्तगण ने, उसके एवं उसकी मम्मी के साथ लकड़ी से मारपीट करी थी। दौराने जिरह गवाह ने इस तथ्य का खंडन किया है कि जब वह मौके पर पहुॅचा, तब अभियुक्तगण वहॉ से भाग गये थे।

14. प्रकरण में अभियोजन द्वारा, घटना की अन्य चक्षुदर्शी गवाह सरस्वती बाई, जो कि परिवादिया की पुत्री है, को पी0ड0 3 के रूप में न्यायालय समक्ष पेश कर परीक्षित कराया गया है, जिसने अभियोजन वृतांत का समर्थन करते हुये न्यायालय समक्ष कथन किया है कि वह अंता की रहने वाली है। यह बात पिछले साल की थी। यह बात सुबह सात बजे की थी। वह, उस समय घर के बाहर रोड धो रही थी और बतूल बाई नाली साफ कर रही थी और चेतराम भी नाली साफ कर रहा था। बतूल बाई ने चेतराम से बोला कि कचरा को इधर मत कर,

बाहर निकाल दें, मैं फेंक दूँगी। **फिर चेतराम गुस्से में हो गया था और बतूल बाई के साथ गाली गलौच करने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा था। निर्मल, राकेश आ गये थे और बतूल बाई के साथ लकड़ी से मारपीट करने लग गये थे। राकेश ने लकड़ी बतूल बाई के सिर पर मारी और निर्मल ने बतूल बाई के गंडासी से पीछे की ओर मारी थी।** चिल्लाचोट की आवाज सुनकर, वह उनको छुड़ाने गयी थी। उसने बतूल बाई को, उन लोगों से छुड़ाया और फिर अभियुक्तगण, अपने घर में घुस गये थे। बतूल बाई के हाथ, पैर, कमर एवं सिर पर चोट आयी थी। बतूल बाई रिपोर्ट करवाने अंता थाने पर गयी थी। गवाह द्वारा प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि तीनों ही अभियुक्तगण ने, उसकी माता को मारा था, लेकिन हाथ पर किसने मारा था, उसे नहीं पता। मारपीट से, उसकी मॉ के सिर पर खून चमक रहा था।

15. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी0ड0 04 सुरजीत पंवार, जो कि औपचारिक गवाह ने, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में तैयार, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी0 2 की ताईद की है।

16. हस्तगत प्रकरण में, जहॉ तक प्रश्न, आहत को आयी चोटें एवं उनकी प्रकृति का है, इस संबंध में, प्रकरण में अभियोजन द्वारा गवाह डॉ0 शाकिर हुसैन अंसारी को पी0ड0 06 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 17.08.2023 को सी0एच0सी0 अंता में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था, ने परिवादिया/आहता बतूल बाई के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में, तैयार किये गये चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 5 एवं एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी0 3 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी0 4 की ताईद करते हुये, निम्न निष्कर्ष दिया है –

'चोट नंबर 1 – दर्द और सूजन, आकार 3 गुणा 2 से.मी. सिर के बायीं तरफ, जो कि कुंद हथियार से कारित थी। चोट नंबर 2 – दर्द और सूजन आकार 5 गुणा 4 से.मी. बायें हाथ की कलाई पर, जो कि कुंद हथियार से कारित थी। चोट नंबर 3 – दर्द और सूजन आना आकार 3 गुणा 4 से.मी., बायें पैर के निचले हिस्से पर, चोट कुंद हथियार से कारित थी। उपरोक्त सभी चोटें 24 घंटे के अंदर की है। उपरोक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी। उपरोक्त चोटों के बारे में उसकी राय निम्न प्रकार है – चोट नंबर 1 हड्डी में किसी प्रकार की चोट नहीं है, अतः चोट साधारण प्रकृति की है। चोट नंबर 2 हड्डी में अलना बोन में चोट है, इसलिये चोट गंभीर प्रकृति की पायी गयी।'

दौराने जिरह गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सभी चोटें, ठोस धरातल पर गिरने पड़ने से आना संभव है।

17. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा परिवादिया/आहता बतूल बाई के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में किये गये, एक्स रे बाबत् गवाह रोहित नागर को पी0ड0 05 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि दिनांक 17.08.2023 को सी0एच0सी0 अंता में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। गवाह द्वारा परिवादिया/आहता बतूल बाई के शरीर पर आयी

चोटों के संबंध में, तैयार किये गये एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी0 3 एवं एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी0 4 की ताईद की गयी है।

दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वह रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। उसका काम केवल एक्स रे करना है।

18. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित गवाह पी.ड. 08 राधेश्याम, जो कि औपचारिक गवाह है, ने उपरोक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, बारां द्वारा पेश परिवाद प्रदर्श पी. 1 एवं चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 06 की ताईद की है।

19. हस्तगत प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी राजेश सिंह, जो कि दिनांक 23.08.2023 को पुलिस थाना अंता में हैड कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत था, को अभियोजन द्वारा गवाह पी0ड0 07 के रूप में न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है। गवाह द्वारा प्रकरण में उसके द्वारा किये गये संपूर्ण अनुसंधान की ताईद करते हुये, प्रकरण में घटनास्थल के संबंध में नक्शा मौका तैयार किया गया, गवाह ने घटनास्थल पर पहुॅचकर, घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किये जाने का, अनुसंधान संबंधी सभी औपचारिकताऍ पूरी किये जाने का, जैसे आहता के शरीर पर आयी चोटों का डॉक्टरी मुआयना किये जाने का, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये जाने का, कथन किया है। गवाह द्वारा घ ाटनास्थल के संबंध में तैयार किया गया, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी0 2 की ताईद की गयी है। गवाह के अनुसार, प्रकरण में उसके द्वारा बाद अनुसंधान, अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित पाया गया।

20. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्त गवाहान के बयानों के प्रकाश में न्यायालय से आग्रह किया गया है कि अभियोजन वृतांत में वर्णित घटना पूर्णतया प्रमाणित है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता भी प्रमाणित है। वहीं, अभियुक्त पक्ष द्वारा संपूर्ण घटना का खंडन करते हुये न्यायालय से आग्रह किया गया है कि हस्तगत प्रकरण में, अभियुक्त पक्ष को झूठा फॅसाया गया है। अतः अभियोजन वृतांत पर अवलंब लिया जाकर, अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है।

21. न्यायालय के विनम्र मत में, यदि हस्तगत पत्रावली पर परीक्षित समस्त महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों का अवलोकन करें तो आहता गवाह पी.ड. 01 बतूल बाई ने अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू पर व्यक्तिशः आक्षेप लगाते हुये कथन किया है कि **'उसके एवं अभियुक्त चेतराम के मध्य नाली को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर अभियुक्त चेतराम ने उसके सिर पर लाठी से वार किया था, इसके पश्चात् राकेश ने भी उसके लाठी से हाथ पर वार किया था तथा अन्य अभियुक्त नीरू ने उसके पिछले भाग पर गंडासी से वार किया था। इससे उसके हाथ में फैक्चर हो गया था और शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आयी थी।'**

22. न्यायालय के विनम्र मत में, किसी भी दांडिक प्रकरण में मजरूब गवाह की साक्ष्य का विशेष दर्जा होता है। यह कि जब तक मजरूब के कथनों में कोई गंभीर विरोधाभास ना हो, न्यायालय द्वारा उन पर अवलंब लिया जा सकता है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत

Abdul Sayeed Versus State of M.P. reported in 2010 AIR SCW 5701 सुसंगत है, जहां कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में मजरूब द्वारा दिये गये बयानों के संबंध में, निम्न मार्गदर्शन दिया गया है –

That "the law on the point can be summarised to the effect that the testimony of the injured witness is accorded a special status in law. This is as a consequence of the fact that the injury to the witness is an in-built guarantee of his presence at the scene of the crime and because the witness will not want to let his actual assailant go unpunished merely to falsely implicate a third party for the commission of the offence. Thus, the deposition of the injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में, यदि हस्तगत पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित परिवादिया/आहता गवाह पी0ड0 1 बतूल बाई द्वारा अपने बयानों में, अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू के विरूद्ध व्यक्तिशः आक्षेप लगाये गये है। प्रकरण में आहता के बयानों का पूर्णतया समर्थन, गवाहान पी.ड. 02 महावीर एवं पी.ड. 03 सरस्वती बाई द्वारा भी किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा, आहता बतूल बाई के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़े बाबत् कथन गवाह पी0ड0 02 महावीर एवं पी.ड. 03 सरस्वती बाई द्वारा भी किये गये है। हस्तगत प्रकरण में, आहता गवाह पी.ड. 01 बतूल बाई अपने बयानों में पूर्णतया तटस्थ रही है। आहता गवाह पी.ड. 01 बतूल बाई के बयानों का समर्थन, मौके पर उपस्थित गवाहान पी.ड. 02 महावीर एवं पी.ड. 03 सरस्वती बाई द्वारा भी किया गया है। उक्त दोनों ही गवाहान अपने बयानों में पूर्णतया तटस्थ रहे है।

23. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन द्वारा पेश चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी0 5 से भी आहत कालूलाल के बयानों को बल प्राप्त होता है, जहां कि **'आहता के शरीर पर कारित चोट नंबर 2 – बायें हाथ की अग्रभुजा की अलना बोन को अस्थि भंग कर, गंभीर उपहति कारित होने का तथ्य अंकित है।', जहॉ कि आहता के शरीर पर आयी चोटों का वर्णन है, जो कि परिवादिया/आहता बतूल बाई द्वारा दिये गये बयानों से मेल खाती है।**

24. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित समस्त महत्वपूर्ण गवाहान के बयानों में कोई भी तात्विक विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। यह कि अभियुक्तगण पक्ष एवं परिवादी पक्ष पूर्व से ही एक दूसरे को जानते है। ऐसे में, अभियुक्तगण पक्ष की पहचान संदिग्ध प्रतीत नहीं होती है। अतः अभियुक्तगण पक्ष, घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति का खंडन करने में असफल रहा है। अतः इन परिस्थितियों में, पत्रावली के समग्र अध्ययन से यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि अभियुक्तगण चेतराम, राकेश कुमार एवं निर्मल उर्फ नीरू द्वारा, आहता बतूल बाई के साथ मारपीट एवं गाली गलौच की घटना कारित की गयी थी, जिसमें

कि आहता के बायें हाथ की अग्रभुजा की अलना बोन पर गंभीर उपहति कारित हुयी थी। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन, अभियुक्तगण की घ ाटनास्थल पर उपस्थिति, अभियुक्तगण द्वारा आहता के साथ हुयी मारपीट की घ ाटना एवं उक्त मारपीट में, आयी चोट एवं उसकी प्रकृति को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, जिसका खंडन करने में अभियुक्त पक्ष असफल रहा है तथा अभियुक्त पक्ष, बरवक्त घटना, घटनास्थल पर अपनी अनुपस्थिति बाबत् कोई साक्ष्य पेश करने में भी असफल रहा है।

25. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचनानुसार एवं उपरोक्त गवाहान के समग्र अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः ऐसे में, अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी घोषित किया जाता है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)

<u>दण्ड के प्रश्न पर :–</u>

26. दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता का इस आशय का निवेदन रहा है कि उनका प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण पिछले तीन वर्षों से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अभियुक्तगण के विरूद्ध ना तो कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही इससे पूर्व किसी प्रकरण में अभियुक्तगण ने परीवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया है, इस बाबत् अभियुक्तगण द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः उनको परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जावें। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावें। जबकि दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने, अभियुक्तगण को उचित दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

27. उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड पत्रावली पर संलग्न नहीं है। अभियुक्तगण पिछले तीन वर्षो से अन्वीक्षा भुगत रहे है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा पेश आहता बतूल बाई के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में तैयार चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 5 का अवलोकन करें तो 'आहता के शरीर पर कारित चोट नंबर 2 – बायें हाथ की अग्रभुजा की अलना बोन को अस्थि भंग कर, गंभीर उपहति कारित होने का तथ्य अंकित है।' आहता के बायें हाथ की अग्रभुजा पर गंभीर उपहति कारित हुयी है, परंतु आहत के किसी महत्वपूर्ण अंग पर कोई चोट कारित नहीं हुयी है,' अतः ऐसे में अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उसके विरूद्ध कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं

है और ना ही इससे पूर्व किसी प्रकरण में अभियुक्तगण ने, परीवीक्षा अधिनियम का लाभ लिया है और ना ही उसे पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध घ ोषित किया गया है। ऐसी दशा में, प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये, आहत के शरीर पर आयी चोट एवं चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रकरण की अन्वीक्षा अवधि को ध्यान में रखते हुये, अभियुक्तगण को कारावास से दंडित ना करते हुये, अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुये, अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

28. अतः अभियुक्तगण 1. चेतराम पुत्र रामप्रताप उर्फ प्रताप, आयु 66 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0, 2. राकेश कुमार पुत्र चेतराम, आयु 35 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0 तथा 3. निर्मल उर्फ नीरू पुत्र चेतराम, आयु 29 वर्ष, निवासी बैरवा बस्ती, नयापुरा, अंता, तहसील अंता, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज0 को उनके विरूद्ध सिद्धदोष अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में, तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित ना कर, अपराधी परिवीक्षा अधिनयम की धारा 4(1) का लाभ प्रदान किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्तगण एक—एक वर्ष की अवधि के लिये दस—दस हजार रूपये का जमानत—मुचलका इन शर्तों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत कर, अनुप्रमाणित करा दें कि वे उक्त अवधि में सदाचारी बने रहेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, परिशान्ति कायम रखेंगे तथा इसमें व्यतिक्रम किये जाने पर, न्यायालय द्वारा आहुत किये जाने पर, दंड भुगतने के लिये न्यायालय में उपस्थित होंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावें।

29. साथ ही प्रत्येक अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनयम की धारा—5 के तहत यह आदेश दिया जाता है कि वह धारा 341, 323 सपठित धारा 34, 325 सपठित धारा 34, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में संयुक्त रूप से पन्द्रह सौ—पन्द्रह सौ रूपये बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय के राजकोष में जमा करावें। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध कुल चार हजार पॉच सौ रूपये की अभियोजन व्यय की राशि अधिरोपित की जाती है।

30. हस्तगत प्रकरण में, अभियोजन व्यय की राशि चार हजार पॉच सौ रूपये में से, चार हजार रूपये, परिवादिया/आहता बतूल बाई द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नियमानुसार, परिवादिया/आहता बतूल बाई को क्षतिपूर्ति/ प्रतिकर के रूप में अदा किये जावें।

31. अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)

32. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस–दस हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावें जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)

33. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर, हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर न्यायालय मुद्रा से मुद्रांकित करवाया गया।

(सिद्धांत शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंता, जिला बारां (राज0)